प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर ... वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 6/23 दिनांक 10/01/2023
2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 अधिनियम 1988 धाराये :–13(1)(सी)(डी)13(2).

   (2) अधिनियम – भारतीय दण्ड संहिता ..... धाराये :– 409,467,468,471,व 120बी

   (3) अधिनियम ..... धाराये :–.....

   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 192 समय 1:00 pm

   (ब) अपराध के घटने का दिन :– वर्ष 2017–18

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– ..... समय .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थलः– ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मांडवा जिला जैसलमेर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – चौकी जैसलमेर से पूरब दिशा 140 किमी0

(ब) पता :– ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मांडवा जिला जैसलमेर

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता

   (अ) नाम :– श्री दानाराम

   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री लाधाराम

   (स) जन्म तिथि/वर्ष :– 82

   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

   (य) पाटपोर्ट संख्या :–..... जारी होने की तिथी.....

   (र) व्यवसाय :–

   (ल) पता :– ग्राम चैनपूरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

   (1) श्री आवड़दान पुत्र श्री हीरदान उम्र 60 साल जाति चारण निवासी मांडवा, हाल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा जिला जैसलमेर।

   (2) श्री चांदाराम पुत्र श्री लोगाराम जाति मेघवाल उम्र 47 निवासी झलारिया तहसील भणियाणा हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा जिला जैसलमेर ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – .....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

महोदय,

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के पत्रांक 2695–96 दिनांक 12.03.2019 के सलग्न परिवादी श्री दानाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट गांव चैनपुरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर द्वारा प्रेषित परिवाद पर दर्ज शिकायत आर नम्बर 1042/2019 विरूद्ध श्री आवडदान अध्यक्ष व व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा जिला जैसलमेर को परिवाद संख्या 17/2019 दिनांक 01.02.2019 में मर्ज करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो मुख्यालय जयपूर के उक्त निर्णय की पालना में परिवादी श्री दानाराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद वास्ते सत्यापन इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। परिवादी श्री दानाराम ने श्री आवडदान अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा मेरे नाम से झूठा ऋण उठाना, मेरे फर्जी हस्ताक्षर करना, सरकारी राशि का गबन करना व गरीबो के दस्तावेजों का दुरूपयोग करना के आरोप अंकित किये है। उपरोक्त परिवाद एंव मर्ज शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होने पर इसका सत्यापन भ्रनिब्यूरो जैसलमेर द्वारा किया गया। श्री दानाराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सत्यापन के संबंध में श्री आवड़दान अध्यक्ष व व्यवस्थापक श्री चान्दाराम ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा को तलब किया गया। परिवादी श्री दानाराम को तलब कर बयान लिये गये । परिवाद के सत्यापन के दौरान आरोपी श्री आवडदान अध्यक्ष व चान्दाराम व्यवस्थापक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। परिवाद के सत्यापन के दौरान पाया गया कि परिवादी श्री दानाराम द्वारा हुबहु उक्त आरोपो की एक शिकायत प्रबन्ध निदेशक दी सैन्टल कॉ ओपरेटिव बैक लि0 प्रधान कार्यालय जैसलमेर को की गयी थी। जिस पर विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच करवायी गयी थी। उक्त विभागीय स्तर पर करवायी गयी जांच की जांच रिपोर्ट एवं परिवाद मे वांछित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। गवाह, परिवादी के बयान, आरोपीयो के स्पष्टीकरण एवं उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि –

1. श्री दानाराम मूलतः गांव चैनपुरा तहसील भणियाणा का रहने वाला है, गांव चैनपुरा मांडवा ग्राम सेवा सहकारी समिति में आता हैं। श्री दानाराम ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा के अध्यक्ष श्री आवड़दान व व्यवस्थापक श्री चान्दाराम से कभी नही मिला तथा न ही समिति का सदस्यता ग्रहण की, परन्तु ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा में श्री दानाराम की सदस्यता ग्रहण करने की रशीद कमाक 005814 दिनांक 23.12.1987 जारी की गई तथा सदस्यता रजिस्टर में श्री दानाराम का नाम क्रम संख्या 214 पर अंकिंत है।
2. श्री दानाराम के नाम से ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा के अध्यक्ष श्री आवडदान व व्यवस्थापक श्री चान्दाराम ने फर्जी तरिके से राशि 50,000/–रूपये बिना जानकारी के आहरित कर उसकी वसूली हेतु श्री दानाराम को जरिये नोटिस सूचित किया गया। श्री दानाराम को ऋण संबंधि जानकारी ऑनलाईन ऋण माफी पोर्टल से हुई। ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा में अमानत राशि जमा करवाने हेतु श्री दानाराम द्वारा अपने हस्ताक्षरित चैक कमांक 182022 दिनांक 17.06.2017 में प्रस्तुत करना, इसके पश्चात श्री दानाराम का ऋण खाता मौसम खरिफ 2018 में पुनः अमानत राशि को नामे कर ऋण वसूली के पश्चात पुनः ऋण खाते को नामे करना, जिसका हस्ताक्षरित चैक कमांक 173621 दिनांक 19.07.2018 होना पाया गया। इसके बाद श्री दानाराम द्वारा सम्पूर्ण राशि दिनांक 26.09.2018 को जमा करवाना, जिसकी रशीद संख्या 32996 जारी की गई।
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा अध्यक्ष श्री आवड़दान व व्यवस्थापक श्री चान्दाराम द्वारा परिवादी श्री दानाराम के नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर ऋण उठाने व अभी तक बकाया सूची में नाम आने के संबंध में जांच से पाया गया कि दिनांक 17.06.2017 को ऋण आहरित किये जाने के कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा द्वारा दिनांक 30.09.2017 को श्री दानाराम के बकाया राशि का राज्य पोर्टल पर अंकन किया गया। श्री दानाराम के ऋण खाता संख्या 285 में दिनांक 26.09.2018 को सम्पूर्ण वसूली जमा होने के उपरान्त समिति खाते में राशि 9477.00 रूपये अमानत राशि के रूप में जमा शेष होना पाया गया।
4. सहकारी समिति स्तर पर करवाई गई जांच में जांच अधिकारी ने निष्कर्ष के रूप मे यह अंकित किया है कि श्री दानाराम को ऋण दिया गया है तथा उसे पुनः ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा के रिकोर्ड के अनुसार जमा करवाया जाना पाया गया। अपितु ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा में श्री दानाराम के खाते में राशि 9477.00रूपये अमानत के शेष होना पायी गयी है। श्री दानाराम के चैको पर हस्ताक्षर सही है या फर्जी जांच अधिकारी हस्ताक्षरो के विशेषज्ञ नही होने के कारण हस्ताक्षरो की प्रमाणिकता कर पाना संभव नही है।
5. परिवादी श्री दानाराम ने अपने बयानो में बताया कि मैंने आज दिनांक तक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डवा में कोई खाता नहीं खुलवाया है और न ही कभी उक्त समिति में

2ण्ण

सदस्य हेतू आवेदन किया है, और न ही किसी भी प्रकार का उक्त समिति से लोन उठाया है। राज्य सरकार द्वारा समिति के ऋण माफी की घोषणा के उपरान्त उक्त ऋण माफी योजना में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की सूची जारी होने पर मेरे किसी परिचित ने मेरे नाम से सेवा सहकारी समिति माण्डवा में 50,000 रूपये का लोन उठाने व उसकी किस्ते बकाया होने की जानकारी दी थी। तब मुझे पता चला कि मेरे नाम से श्री आवडदान अध्यक्ष एवं चान्दाराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डवा ने फर्जी खाता खोलकर मेरे नाम से 50 हजार रूपये का लोन उठा लिया है क्योकिं मैने कभी भी उक्त समिति में लोन हेतू आवेदन नहीं किया था एवं न ही कोई खाता खुलवाया है, और न ही समिति के किसी दस्तावेज आदि पर कभी हस्ताक्षर किये है। उक्त फर्जी लोन के बारे में ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डवा के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक से पुछताछ करने पर उन्होनें कहा कि आपके नाम से यदि लोन उठा लिया है तो क्या हूआ, आपको क्या नुकसान हुआ है आदि कहते हुवे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेरे अलावा गॉव के और भी कई व्यक्तियों के नाम से अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक ने फर्जी खाता खोलकर, लोन उठाकर सरकारी राशि का गबन कर गॉव के गरीब व खेतीहर मजदूरों को राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया है।

इस प्रकार परिवाद के सत्यापन से श्री आवड़दान अध्यक्ष व श्री चान्दाराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 मांडवा जिला जैसलमेर द्वारा मिलीभगत पर परिवादी श्री दानाराम के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी खाता खोलना, परिवादी के नाम से ऋण स्वीकृत कर उठाना तथा उसकी ऋण माफी की राशि उठाकर गबन करना इत्यादि आरोप प्रमाणित पाये गये है। परिवाद के सत्यापन से श्री आवड़दान अध्यक्ष व श्री चान्दाराम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 मांडवा जिला जैसलमेर के विरूद्ध परिवाद मे वर्णित आरोप सत्यापन से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। साथ ही प्रकरण में वर्णित चैकों पर श्री दानाराम के हस्ताक्षर सही है या फर्जी, की जांच बाबत विशेषज्ञो से राय प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः (1) श्री आवड़दान पुत्र श्री हीरदान उम्र 60 साल जाति चारण निवासी मांडवा, हाल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा जिला जैसलमेर। (2) श्री चांदाराम पुत्र श्री लोगाराम जाति मेघवाल उम्र 47 निवासी झलारिया तहसील भणियाणा हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा जिला जैसलमेर के विरूद्ध अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी) 13 (2) सपठित धारा 409, 467, 468, 471 व 120 बी भा.दं.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 467, 468, 471, व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री आवड़दान पुत्र श्री हीरदान निवासी मांडवा, हाल अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा, जिला जैसलमेर एवं 2. श्री चांदाराम पुत्र श्री लोगाराम, हाल व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति मांडवा, जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 06/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 44-49 दिनांक 10.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. माडवा, जिला जैसलमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(17/19)।

10.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।